कोविड-19 के नियंत्रण के लिए बैठक में दिये आवश्यक निर्देश

भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नया रायपुर द्वारा जारी निर्देश के संदर्भ में कोविड-19 के संक्रमण की संभावनाओ को देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में आयुक्त रोहित व्यास एवं कोरोना महामारी नियंत्रण दुर्ग के नोडल अधिकारी डॉ. सी.बी.एस बंजारे ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि देश के अन्य राज्यों में कोविड- 19 के बढ़ते प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए जिले में कोविड- 19 के रोकथाम एवं प्रबंधन किये जाने हेतु संक्रमण की त्वरित पहचान , जॉच एवं उपचार किया जाना आवश्यक हैं जिले की स्वास्थ्य संस्थाओ की ओ.पी.डी. में सर्दी , खांसी, बुखार के लक्षणों के साथ आने वाले रोगी एवं एसएआरआई के भर्ती मरीजों का शत-प्रतिशत कोविड जॉच अनिवार्य रूप से किया जाना है। संक्रमण की संभावना वाले व्यक्ति का आरटीपीसीआर विधि से जॉच किया जाना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलो को निर्देशित किया है कि वर्तमान में भारत के कुछ राज्यो में कोविड संक्रमण में वृद्धि दर पायी गई है , यघपि कोविड-19 को संक्रमण नियंत्रण में है, परन्तु कोविड-19 का विषाणु के संक्रमण के प्रसार पर निगरानी रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगामी नववर्ष एवं त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए कोविड गाईडलाईन के अनुसार दो गज दुरी , मास्क की अनिवार्यता जैसे नियमो का पालन नागरिको से करवाना होगा। जिले के प्रत्येक शासकीय एवं निजी चिकित्सालयो में कोविड-19 के क्रियाशीलता दवाओ की उपलब्धता एवं अन्य तैयारियो की आकलन के लिए मॉकड्रिल किया जायेगा। दुर्ग जिले के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय, सुपेला अस्पताल आदि स्थानो पर कोविड- 19 के जॉच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बैठक में भिलाई क्षेत्र के नोडल डॉ , पियान सिंह, सीपीएम तुषार वर्मा , रितिका सोनवानी के साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रा निगम के अधिकारी कर्मचारी एवं निगम क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालो के कर्मचारी उपस्थित थे। निगम द्वारा वार्ड 31 मदर टेरेसा नगर के आदर्श नगर बीएसपी पानी टंकी हनुमान मंदिर के आस-पास सोडियम हाईपोक्लोराईड का छिड़काव स्प्रे के माध्यम से किया गया है एवं नालीयों की सफाई कर चुना, ब्लीचिंग का छिड़काव भी किया गया है।